

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।


:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (क) एवं (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/120994/2023/xxx(2) / E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

प्रशासनिक अधिकारी:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रेमा चौदसी	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -नैनीताल	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	जनहित
2	श्रीमती ज्योति भट्ट	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -नैनीताल	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/ 
(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।


प्रशासनिक अधिकारी

पत्रांक 835 /स्था०-02/वा०स्था०/2023-24

दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी - नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, ~~उत्तराखण्ड देहरादून~~।


(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।


:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (क) एवं (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/120994/2023/xxx(2) / E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

वरिष्ठ सहायक

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती गीता पंत	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -नैनीताल	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	जनहित
2	श्री बबलू मखौलिया	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -नैनीताल	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।


ह०/ 
(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।

पत्रांक 836 /स्था०-02/वा०स्था०/2023-24

दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी - नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।


(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।


:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (क) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/120994/2023/xxx(2) / E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

कनिष्ठ सहायक:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री अनूप उपाध्याय	कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी -रानीखेत	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -चम्पावत	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।


ह०/ 
(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।

पत्रांक 837 /स्था०-02/वा०स्था०/2023-24

दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1 रानीखेत।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी-चम्पावत।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी - अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग, ~~उत्तराखण्ड देहरादून~~


(डा०बी०सी०कर्नाटक)
अपर निदेशक।